

पत्रांक: 2प/वि०2-17-44/2017/52(3/8)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

सुरेश प्रसाद साह,

संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य

कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार।

पटना, दिनांक 29/02/2017

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 19 दिनांक 29.03.2017 द्वारा स्वीकृत कुल ₹40,35,00,000.00 (चालीस करोड़ पैंतीस लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 19 दिनांक 29.03.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रति ग्राम पंचायत ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र की दर से कुल 807 नवनिर्मित (संलग्न जिलावार विवरणी के अनुसार) पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करने हेतु कुल ₹40,35,00,000.00 (चालीस करोड़ पैंतीस लाख रुपये) मात्र की राशि को की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में संलग्न जिलावार विवरणी के अनुसार कुल ₹40,35,00,000.00 (चालीस करोड़ पैंतीस लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 423 दिनांक 31.03.2016, 2793 दिनांक 04.04.2016, 2063 दिनांक 11.03.2016 तथा 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0114-ग्राम पंचायतों के विभिन्न मदों हेतु" गद अंतर्गत '3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के आलावा' इकाई से किया जायेगा।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् होंगे, जो राशि की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 19 दिनांक 29.03.2017 एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में संबंधित जिला कोषागार से करेंगे। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट गुहर,





इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

10. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

11. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या P 2515008000114 है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

S.P.
(सुरेश प्रसाद साह) 29/3/2017

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक: 2प/वि०2-17-44/2017/52(3/8) पं०रा० पटना, दिनांक 29/03/2017

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी, 02 एवं 05/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:- यथा उपर्युक्त।

S.P.
(सुरेश प्रसाद साह) 29/3/2017

संयुक्त सचिव

S.P.

जिलावार पूर्ण पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील किये जाने हेतु उपस्कर आदि क्रय के लिए प्रति ग्राम पंचायत ₹5,00,000.00 की दर से राशि की विवरणी :-

क्र० सं०	जिला का नाम	पूर्ण पंचायत सरकार भवन की संख्या	प्रति पंचायत पाँच लाख रु० की दर से स्वीकृत राशि
1	भोजपुर	31	15500000
2	नालन्दा	30	15000000
3	गया	19	9500000
4	नवादा	14	7000000
5	अरवल	10	5000000
6	सिवान	24	12000000
7	सीतामढ़ी	14	7000000
8	भागलपुर	26	13000000
9	बाँका	17	8500000
10	दरभंगा	12	6000000
11	किशनगंज	17	8500000
12	जमुई	8	4000000
13	बेगूसराय	20	10000000
14	खगड़िया	12	6000000
15	लखीसराय	12	6000000
16	समस्तीपुर	44	22000000
17	मधेपुरा	29	14500000
18	सुपौल	11	5500000
19	मुँगेर	5	2500000
20	मुजफ्फरपुर	37	18500000
21	शेखपुरा	7	3500000
22	कटिहार	28	14000000
23	रोहतास	38	19000000
24	पटना	13	6500000
25	कैमूर	20	10000000
26	औरंगाबाद	29	14500000
27	जहानाबाद	14	7000000
28	सारण	19	9500000
29	गोपालगंज	27	13500000
30	वैशाली	25	12500000
31	पूर्वी चम्पारण	55	27500000
32	पश्चिमी चम्पारण	26	13000000
33	शिवहर	04	2000000
34	मधुबनी	44	22000000
35	सहरसा	14	7000000
36	पूर्णिया	25	12500000
37	अररिया	20	10000000
38	बक्सर	7	3500000
	कुल	807	403500000

कुल-(चालीस करोड़ पैंतीस लाख रुपये) मात्र

(सुरेश प्रसाद साह) 29/3/2017
संयुक्त सचिव
8m

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/25(आ10)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 08.08.2019

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 20.06.2019 द्वारा स्वीकृत कुल ₹2,49,97,70,000.00 (दो अरब उनचास करोड़ सत्तानवे लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 के अनुरूप ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रति पंचायत सरकार भवन ₹1,14,43,136.00 (एक करोड़ चौदह लाख तैंतालिस हजार एक सौ छत्तीस रुपये) मात्र की प्राक्कलित राशि की दर से वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक राज्य में कुल 1435 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹1642.09 करोड़ (सोलह अरब बयालीस बयालिस करोड़ नौ लाख रुपये) मात्र की राशि प्रावधानित है। उक्त राज्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 20.06.2019 के साथ संलग्न अनुलग्न-1 के अनुरूप कुल ₹2,49,97,70,000.00 (दो अरब उनचास करोड़ सत्तानवे लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 20.06.2019 के साथ संलग्न अनुलग्न-1 के अनुरूप कुल ₹2,49,97,70,000.00 (दो अरब उनचास करोड़ सत्तानवे लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। इस आवंटित राशि को जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त लक्ष्य की सूची के अनुरूप संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपावंटित किया जायेगा, जिसके आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-101-पंचायती राज-उपशीर्ष-0108-पंचायत सरकार भवन" मद के विषय शीर्ष '0108.53.01-मुख्य निर्माण कार्य' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16-4515001010108 है।

5. सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16-4515001010108)

को यथाशीघ्र Map/Tag कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांक 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/2561(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/08/2019
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार/प्रभासी पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/2561(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 08/08/2019
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

8/8

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

ब्रजनन्दन प्रसाद,
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं
व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 31/08/2019.

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायत सरकार भवन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा एवं BPRO हेतु 1373 लैपटॉप की अधिप्राप्ति हेतु स्वीकृत कुल ₹9.50 करोड़ (नौ करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रतिनिधायन एवं अनुदान मद में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹1491.87 करोड़ (चौदह अरब इक्कयानवें करोड़ सत्तासी लाख रुपये) मात्र की राशि राज्य में कार्यरत सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों, एवं ग्राम पंचायतों के बीच वितरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से पंचायत सरकार भवन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा एवं BPRO हेतु 1373 लैपटॉप की अधिप्राप्ति हेतु कुल ₹9.50 करोड़ (नौ करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की राशि स्वीकृत है।

2. उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में पंचायत सरकार भवन में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा एवं BPRO हेतु 1373 लैपटॉप की अधिप्राप्ति हेतु कुल ₹9.50 करोड़ (नौ करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग होंगे, जो विभागीय राज्यादेश संख्या 11(स्वी०) दिनांक 07.08.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष- 198-ग्राम पंचायतों को सहायता- उपशीर्ष- 0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" अंतर्गत विषय शीर्ष '0009.31.04- सहायक अनुदान-वेतन' से की जायेगी। इसकी मांग संख्या- 16 एवं विपत्र कोड- 16-2515001980009 है।

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/13(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 08/05/2020

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 04.05.2020 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,58,40,00,000.00 (एक अरब अठ्ठावन करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 04.05.2020 द्वारा पंचायत सरकार के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल ₹1,58,40,00,000.00 (एक अरब अठ्ठावन करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 07(स्वी०) दिनांक 04.05.2020 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुरूप कुल ₹1,58,40,00,000.00 (एक अरब अठ्ठावन करोड़ चालीस लाख रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। इस आवंटित राशि को जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त लक्ष्य की सूची के अनुरूप संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपावंटित किया जायेगा, जिसके आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-101-पंचायती राज-उपशीर्ष-0108-पंचायत सरकार भवन" मद के विषय शीर्ष '0108.53.01-मुख्य निर्माण कार्य' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16-4515001010108 है।

5. सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे अपने CFMS Office में उक्त Head Of Account (विपत्र कोड 16-4515001010108) को यथाशीघ्र Map/Tag कर लें ताकि CFMS द्वारा उक्त राशि को आवंटित की जा सके।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

माता -

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
11. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019 के पृष्ठ संख्या 21/टि० पर दिनांक 06/05/20 को प्राप्त है।
13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वामाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पटना, दिनांक 08/05/2020

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/13(आ०) पं०रा०

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पटना, दिनांक 08/05/2020

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/13(आ०) पं०रा०

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

प्रेषक,

कल्पना कुमारी

अनुश्रवण पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
गया, औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण, शिवहर,
बाँका, मधेपुरा एवं शेखपुरा।

पटना, दिनांक 15/3/2021

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 42(स्वी०) दिनांक 09.03.2021 द्वारा स्वीकृत कुल ₹50,87,00,000.00 (पचास करोड़ सतासी लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 42(स्वी०) दिनांक 09.03.2021 द्वारा ग्राम पंचायत की सहायता से पंचायत सरकार के भवनों के निर्माण हेतु इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुरूप कुल ₹50,87,00,000.00 (पचास करोड़ सतासी लाख रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या संख्या 42(स्वी०) दिनांक 09.03.2021 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुरूप कुल ₹50,87,00,000.00 (पचास करोड़ सतासी लाख रुपये) मात्र की राशि में आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। इस आवंटित राशि को जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त लक्ष्य की सूची के अनुरूप संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपावंटित किया जायेगा, जिसके आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-101-पंचायती राज-उपशीर्ष-0108-पंचायत सरकार भवन" मद के विषय शीर्ष '0108.53.01-मुख्य निर्माण कार्य' इकाई से किया जायेगा। इसका विपत्र कोड 16-4515001010108 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

15/3/2021

(9)

6. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।
11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019 के पृष्ठ संख्या ६.३./टि० पर दिनांक १२/०३/२०२१ को प्राप्त है।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वामाजुन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/72319/पं०रा० पटना, दिनांक 15/3/2021
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/72319/पं०रा० पटना, दिनांक 15/3/2021
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पत्रांक: 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/78.840/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 15/3/2024

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49(स्वी०) दिनांक 15.03.2021 द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत कुल ₹1,49,65,18,000.00 (एक अरब उनचास करोड़ पैंसठ लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 के आलोक में पंचायत सरकार के भवनों के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 49(स्वी०) दिनांक 15.03.2021 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुरूप कुल ₹1,49,65,18,000.00 (एक अरब उनचास करोड़ पैंसठ लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की राशि की निकासी की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदान की गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49(स्वी०) दिनांक 15.03.2021 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुरूप कुल ₹1,49,65,18,000.00 (एक अरब उनचास करोड़ पैंसठ लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। इस आवंटित राशि को जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से प्राप्त लक्ष्य की सूची के अनुरूप संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपावंटित किया जायेगा, जिसके आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निकासी कर संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-101-पंचायती राज-उपशीर्ष-0108-पंचायत सरकार भवन" मद के विषय शीर्ष '0108.53.01-मुख्य निर्माण कार्य' इकाई से किया जायेगा। इसका विपन्न कोड 16-4515001010108 है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019 के पृष्ठ संख्या 55/टि० पर दिनांक 15.03.2021 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वाशभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/78(आ०) पं०रा०

पटना, दिनांक 15/3/2021

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-03/2019/78(आ०) पं०रा०

पटना, दिनांक 15/3/2021

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी